राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना पत्र संख्या–101/2012/राजसमन्द

मैसर्स रूप रजत मार्बल एण्ड स्टोन,
प्रा. लि., पसून्द तहसील व जिला राजसमन्द ...प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप–पंजीयक,
   राजसमन्द, जिला राजसमन्द
2. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, राजस्थान ...अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री एस.पी. शर्मा,
अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 30.11.2016

निर्णय

1. यह विविध प्रार्थना पत्र राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा निगरानी स्टॉम्प एक्ट संख्या 789/2008 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र में पारित आदेश दिनांक 25.11.2011 को निरस्त करने हेतु धारा 151 सीपीसी के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि ग्राम पसून्द तहसील व जिला राजसमन्द में स्थित प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 359, 835 एवं 836 कुल किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि मूल रूप से मैसर्स सुपर मार्बल प्रा. लि. को औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित की जाकर उसके पक्ष में दिनांक 29.08.1983 को लीज डीड निष्पादित की गई थी। मैसर्स सुपर मार्बल प्रा. लि., के द्वारा राजस्थान वित्त निगम से ऋण लेकर औद्योगिक ईकाई स्थापित की गई परन्तु कालान्तर में सुपर मार्बल के द्वारा राजस्थान वित्त निगम से लिये गए ऋण का भुगतान नहीं किये जाने के कारण राजस्थान वित्त निगम ने धारा 29 के तहत् औद्योगिक ईकाई को अपने कब्जे में लेकर उसे नीलामी में विक्रय कर श्री नवल किशोर भगेरिया प्रोपराईटर मैसर्स भोदिया मार्बल्स के पक्ष में दिनांक 02.09.1988 को विक्रय अनुबन्ध निष्पादित किया और श्री नवल किशोर भगेरिया के निवेदन पर उसके ही स्वामित्व की फर्म मैसर्स रूप रीजत मार्बल एण्ड स्टोन प्रा. लि., के नाम सुपर मार्बल्स प्रा. लि., के नाम निष्पादित मूल लीज डीड दिनांक 29.08.1983 मैसर्स सुपर मार्बल प्रा. लि., की जगह दर्ज किया जाकर दिनांक 21.01.2008 को संशोधित लीज डीड निष्पादित की गई अर्थात राजस्थान वित्त निगम के द्वारा रूग्ण ईकाई को जरिये नीलामी बेचान करने के उपरान्त प्रथम बार लीज डीड निष्पादित की गई है अर्थात रूग्ण ईकाई बेचान के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में प्रथम बार ही दस्तावेज का निष्पादन किया जाकर पंजीबद्ध कराया

लगातार.....2

गया है। जिसे राजस्थान सरकार अपने द्वारा जारी अधिसूचना के द्वारा तथा अधीनस्थ न्यायालय तथा स्वयं न्यायालय आप द्वारा भी रूग्ण ईकाई के क्रय करने वाले प्रथम दस्तावेज को मुद्रांक कर से मुक्त माना है। उपरोक्त वर्णितानुसार माननीय न्यायालय ने समस्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के स्पष्ट होते हुए रूग्ण ईकाई के नीलामी उपरान्त निष्पादित प्रथम दस्तावेज को ही ट्रांसफर बाई वे ऑफ असाइनमेंट मानने में भारी भूल की है क्योंकि दस्तावेज से बखूबी साबित है कि उक्त दस्तावेज का एक पक्षकार सुपर मार्बल प्रा. लि. और दूसरा पक्षकार प्रार्थी रूप रजत मार्बल एण्ड स्टोन प्रा. लि., है तथा दस्तावेज का आधार रूग्ण ईकाई का नीलामी में विक्रय करना है तो फिर उक्त प्रश्नगत दस्तावेज को ट्रांसफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ एसाइनमेंट माना जाता है तो फिर रूग्ण ईकाई के नीलामी में विक्रय करने के आधार पर कौनसा दस्तावेज निष्पादित किया गया जिसे मुद्रांक कर मुक्त रखा गया, क्योंकि पूर्व में नीलामी उपरान्त निष्पादित तो केवल एग्रीमेंट–टू–सेल है तथा एग्रीमेन्ट कानूनन भविष्य में मूल दस्तावेज के निष्पादन का ईकरार मात्र है उससे कोई हक अधिकारों का अन्तरण नहीं होता है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निगरानी स्टाम्प एक्ट संख्या 789/2008 राजसमन्द उनवानी सरकार बनाम् महाप्रबन्धक में पारित निर्णय दिनांक 25.11.2011 को निरस्त किए जाने का अनुतोष चाहा।

3. प्रकरण में उभयपक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मैसर्स सुपर मार्बल प्रा.लि., द्वारा राजस्थान वित्त निगम से प्राप्त ऋण का भुगतान नहीं किये जाने के कारण राजस्थान वित्त निगम ने धारा 29 के अन्तर्गत इस ईकाई को कब्जे में लेकर निलामी में श्री नवलकिशोर भगेरिया प्रोपराईटर मैसर्स भोदिया मार्बल्स को विक्रय कर विक्रय अनुबन्ध दिनांक 02.09.1988 निष्पादित किया तथा श्री नवल किशोर भगेरिया के निवेदन पर उसके ही स्वामित्व की फर्म मैसर्स रूप रीजत मार्बल एण्ड स्टोन प्रा. लि., के नाम सुपर मार्बल्स प्रा. लि., के नाम निष्पादित मूल लीज डीड दिनांक 29.08.1983 मैसर्स सुपर मार्बल प्रा. लि., की जगह दर्ज किया जाकर दिनांक 21.01.2008 को संशोधित लीज डीड निष्पादित की गई। राजस्थान वित्त निगम के द्वारा रूग्ण ईकाई को जरिये नीलामी बेचान करने के उपरान्त प्रथम बार लीज डीड निष्पादित की गई है अर्थात रूग्ण ईकाई बेचान के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में प्रथम बार ही दस्तावेज का निष्पादन किया जाकर पंजीबद्ध कराया गया है जिसे राजस्थान सरकार अपने द्वारा जारी अधिसूचना के द्वारा रूग्ण ईकाई के क्रय करने वाले प्रथम दस्तावेज को मुद्रांक कर से मुक्त माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने रूग्ण ईकाई के नीलामी उपरान्त निष्पादित प्रथम दस्तावेज को ही ट्रांसफर बाई वे ऑफ असाइनमेंट मानने में भूल की है। राजस्थान वित्त निगम की धारा 29 के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 25.11.2011 तथ्यों एवं विधि के अनुरूप नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 25.11.2011 को निरस्त किया जावे। इन्होंने अपने समर्थन में एआईआर 2004 मध्यप्रदेश पेज 58 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

लगातार.....3

5. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय उभयपक्ष को सुनकर पारित किया है। प्रकरण में धारा 151 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 52 के अन्तर्गत भी उन्हीं भूलों का सुधार किया जा सकता है जो अभिलेख से प्रकट होती है। विचाराधीन प्रकरण में अभिलेख से प्रकट होने वाली त्रुटि नहीं है। राजस्थान वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 का लाभ राजस्थान मुद्रांक अधिनियम के अन्तर्गत देय नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार हैः–

7. प्रकरण में प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है जो निम्न प्रकार हैः–

Section 151 Seving of inherent powers of Court- Nothing in this Code shall be deemed to limit or otherwise effect the inherent power of the Court to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the Court.

विधि के उपरोक्त प्रावधान में न्यायालयों को न्याय के उद्धेश्यों के लिए सशक्त किया गया है परन्तु विचाराधीन प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या इस प्रकरण में इस प्रावधान के अन्तर्गत कोई अनुतोष दिया जा सकता है या नहीं। माननीय राजस्थान कर बोर्ड के विचाराधीन निर्णय दिनांक 25.11.2011 में यह माना गया है कि राजस्थान वित्त निगम द्वारा धारा 29 के तहत् अधिग्रहित ईकाई मैसर्स सुपर मार्बल्स प्रा.लि., का दिनांक 02.09.1988 को विक्रय मैसर्स भगेरिया मार्बल्स का होने से राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.07.2001 सपठित अधिसूचना दिनांक 26.07.2003 के अनुसार राजस्थान वित्त निगम द्वारा मैसर्स सुपर मार्बल्स प्रा.लि. का मैसर्स भगेरिया मार्बल्स को विक्रय करने हेतु निष्पादित किये जाने वाला विक्रय दस्तावेज ही देय मुद्रांक शुल्क से मुक्त होगा। इसलिए प्रोपराईटर ईकाई मैसर्स भगेरिया मार्बल्स के प्रोपराईटर श्री नवल किशोर भगेरिया द्वारा मैसर्स सुपर मार्बल्स प्रा.लि. को मैसर्स श्री रूप रजत मार्बल एण्ड स्टोन प्रा.लि., ईकाई में परिवर्तन करने पर जिला कलेक्टर (उद्योग) राजसमन्द के आदेश दिनांक 31.07.1997 के अनुसरण में मैसर्स सुपर मार्बल्स प्रा.लि., के पक्ष में निष्पादित मूल लीज दस्तावेज में मैसर्स सुपर मार्बल्स प्रा.लि., के स्थान पर मैसर्स श्री रूप रजत मार्बल्स एण्ड स्टोन प्रा.लि., का संशोधन करने संबंधित दस्तावेज पर राज्य सरकार की उक्त अधिसूचनाओं के तहत् मुद्रांक शुल्क से छूट का लाभ देय नहीं होगा। विद्वान एवं सम्माननीय तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने यह निष्कर्ष रिकॉर्ड, विधिक स्थिति आदि सम्पूर्ण तथ्यों पर मनन करते हुए सुविचारित एवं विवेकशील निर्णय पारित किया है जिसे इस स्तर पर परिवर्तित नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई आधार नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि निर्णय दिनांक 25.11.2011 रिकॉर्ड व विधिक स्थिति के विपरित पारित किया

लगातार.....4

गया हो। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 52 के अन्तर्गत भी उन्हीं भूलों का सुधार किया जा सकता है जो अभिलेख से प्रकट होती है। विचाराधीन प्रकरण में अभिलेख से प्रकट होने वाली त्रुटि नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 का लाभ राजस्थान मुद्रांक अधिनियम के अन्तर्गत देय नहीं माना जा सकता।

8. जहां तक विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त एआईआर 2004 मध्यप्रदेश पेज 58 का संबंध है इस न्यायिक दृष्टान्त में यह ठहराया गया है कि जहां भूलवश या त्रुटिवश या धोखे से कोई आदेश पारित हो जाता है तो उसे धारा 151 सीपीसी के अन्तर्गत सुधार किया जा सकता है। विचाराधीन प्रकरण में निर्णय दिनांक 25.11.2011 माननीय पीठासन अधिकारी द्वारा मनन एवं अध्ययन के पश्चात् पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जिसमें भूलवश या त्रुटिवश या धोखे से संबंधित कोई बिन्दु नहीं है तथा इस न्यायिक दृष्टान्त से भी प्रार्थी को कोई सहायता नहीं मिलती।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने के कारण खारिज किया जाता है।

10. निर्णय सुनाया गया।

नत्थूराम 30/11/2016
(सदस्य)